

2025/353

फर्द अहकाम
(नियम 15)

निर्णय
09-6-2025

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
सन्तोष बनाम संपत आदि

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,53 आरटीएक्ट

प्रकरण संख्या 24 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
21.05.2025	<p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 11.06.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">ॐ</p>	
<p>सन्तोष प. नदी 02/11/25 सम्पतदेवी शमेश पुष्पा कुमर प. नदी Simran</p>	<p>वकील वकी ने पार्वना - पत्र मिकाल पेश पेश करते पत्रपत्रा वमी को पेश में लिया गया। वकुलार फरिडेन उपखण्ड वकी व पत्रपत्रा को पेश करने हाजिर आइन्दा दिनांक 09.06.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">ॐ</p>	
9.6.2025	<p>वकुलार फरिडेन उपखण्ड नरेट पत्रपत्रा वमी उक्त वक्त मुमी गरी पत्रपत्रा का धक्के कनडिका पत्रपत्रा पर उपखण्ड विचार करी व वकी पत्रपत्रा वकी के दाखिलनामा के आधार पर वकी इन्ही विषयों लगे। वकी विचार करित निर्णय आलय से नि काया जाकर दाखिल करील विषय लगे। पत्रपत्रा नाम के नाम की जाकर आउ त वकी व वकी जाकर दाखिल करील हो।</p> <p style="text-align: center;">ॐ</p>	